बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०–पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 41 पटना, दिनांक– 16/08/17

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष– 2017 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के **छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस** हजार) मात्र की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 32,54,70,000/– (रू0 बत्तीस करोड़ चौवन लाख **सत्तर हजार) मात्र की राशि की व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित राशि से कुल रू 32,54,70,000/– (रू0 बत्तीस करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार) मात्र की राशि का संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा– विषय शीर्ष 34–छात्रवृत्ति/वजीफा(0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन कुल बजट प्रावधान से रू 32,54,70,000/– (रू0 बत्तीस करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार) मात्र विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे एवं इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवन करेंगे कि निर्धारित मापदंड के अंतर्गत आनेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

5– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा, जो वर्ष 2017 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार–संख्या,एवं बैंक अकांउट की छायाप्रति की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एकमुश्त राशि रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

7– जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र FORM-BTC-42(A)उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे साथ ही अव्यवहृत अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित करेंगे।

P.T.O.

8– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सूनिश्चित करेंगे कि निर्धारित मापदंड को पूरा करनेवाले छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया गया हैं ।

9– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।

10– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०– **यथोपरि।**

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010 – 41 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010 – 41 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्र-55-01/2010 – 41 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के निजी सहायक/सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक, (बजट एवं आवंटन), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010 – 41 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त वर्ष 2017 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्गों के छात्रों की जिला बार सूची एवं स्वीकृत राशि की विवरणीः–

प्रमण्डल का नाम	क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्रों की संख्या	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
पूर्णियाँ	1	पूर्णियाँ	11001	765	7650000
	2	अररिया	12001	514	5140000
	3	किशनगंज	13001	198	1980000
	4	कटिहार	14001	675	6750000
मुंगेर	5	मुंगेर	21001	781	7810000
	6	जमुई	22001	411	4110000
	7	लखीसराय	23001	653	6530000
	8	शेखपुरा	24001	324	3240000
	9	खगड़िया	25001	1091	10910000
	10	बेगुसराय	26001	1745	17450000
भागलपुर	11	भागलपुर	31001	1621	16210000
	12	बाँका	32001	461	4610000
कोशी	13	सहरसा	41001	406	4060000
	14	सुपौल	42001	837	8370000
	15	मधेपुरा	43001	613	6130000
तिरहुत	16	मुजफ्फरपुर	51001	1207	12070000
	17	सीतामढ़ी	52001	741	7410000
	18	वैशाली	53001	703	7030000
	19	प0 चम्पारण	54001	1008	10080000
	20	पू0 चम्पारण	55001	1142	11420000
	21	शिवहर	56001	126	1260000
दरभंगा	22	दरभंगा	61001	931	9310000
	23	मधुबनी	62001	1448	14480000
	24	समस्तीपुर	63001	1094	10940000
पटना	25	पटना	71001	1944	19440000
	26	नालंदा	72001	1410	14100000
	27	भोजपुर	73001	751	7510000
	28	रोहतास	74001	1018	10180000
	29	बक्सर	75001	409	4090000
	30	भभुआ	76001	454	4540000
मगध	31	गया	81001	1439	14390000
	32	नवादा	82001	1014	10140000
	33	औरंगाबाद	83001	1045	10450000
	34	जहानाबाद	84001	316	3160000
	35	अरवल	85001	256	2560000
सारण	36	सारण	91001	1199	11990000
	37	सीवान	92001	983	9830000
	38	गोपालगंज	93001	814	8140000
		कुल योग		32547	325470000

(रू0 बत्तीस करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार)मात्र

पत्रांक– 41 दिनांक– 16/08/17 का अनु०

सरकार के सचिव।